न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 126/2024 FSSA

1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. मदन लाल गुर्जर
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
   एफबीओ मैसर्सः—विजय कुमार दिनेश कुमार मानगंज दौसा निवासी श्याम मन्दिर के पास नई मण्डी रोड दौसा।
2. श्री राजेश खण्डेलवाल पुत्र श्री गौरी शंकर
   प्रोपरायटर/नोमिनी मैसर्स ताडकेश्वर फूड प्रोडक्ट तहसील कार्यालय के पीछे नावां सिटी जिला डिडवाना कुचामन निवासी 35, शंकर विहार, ए एक्सटेन्शन मुरलीपुरा जयपुर।
3. श्री अमित बेरीवाल पुत्र श्री सुरेश बेरीवाल
   नोमिनी प्रगति साल्ट प्रा. लिमिटेड खसरा नं. 461/58 पावर हाउस के सामने, जयपुर रोड राजास तहसील नांवा जिला डिडवाना निवासी 179, एवेन्यू, 3 गोमेश डिफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 07.04.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.07.2024 को 01:38 बजे मैसर्स विजय कुमार दिनेश कुमार मानगंज दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय वहां पर श्री विजय कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण उपस्थित मिला। जिन्होने स्वयं को मैसर्सः—विजय कुमार दिनेश कुमार मानगंज दौसा का मालिक होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा रजि0 बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री विजय कुमार की उपस्थिति में मैसर्सः—विजय कुमार दिनेश कुमार मानगंज दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु अलग—अलग ब्राण्ड के नमके के साथ दुकान में लगभग 1.0—1.0 किलोग्राम के 25—25 पोलीपैक के 150 प्लास्टिक कट्टे आयोडाइज्ड टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** रखा हुआ पाया गया। आयोडाइज्ड टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को नियमानुसार फार्म 5 ए की लिखित सूचना देते हुये श्री विजय कुमार व गवाहान के फार्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द [illegible]ता को बताया कि यह आयोडाइज्ड टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly P[illegible])** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हेतु क्रय किया जा रहा है। दुकान में रखे लगभग 25–25 किलोग्राम के 150 प्लास्टिक कट्टे में से सील पैक प्लास्टिक कट्टे 25 किलोग्राम का चयन कर उसको खोलकर उसमें से 4 पैकेट सील 1.0–1.0 किलोग्राम आयोडाइज्ड टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** को वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता श्री विजय कुमार को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 4 पैकेट सील्ड पैक 1.0–1.0 किलोग्राम कुल मात्रा 4.0 किग्रा के 16/–(अक्षरे सोलह रूपये) नकद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्रय किये गये 4 किलोग्राम(1.0–1.0 किलोग्राम 4 पैकेट) आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** को श्री विजय कुमार विजय एवं गवाहान को दिखाकर चार साफ व सूखे प्लास्टिक में 1.0–1.0 किलोग्राम अलग–अलग भरकर प्रत्येक डिब्बे को ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयर टाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **AG-4395** अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता श्री विजय कुमार तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **AG-4395** को नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर श्री विजय कुमार विजय व्यवहारी मैसर्स विजय कुमार, दिनेश कुमार मानगंज दौसा से आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** का नमूना क्रय करते समय अन्य फर्म का वारण्टी बिल मांगे जाने पर श्री विजय कुमार विजय ने मैसर्स ताडकेश्वर फूड प्रॉडक्ट तहसील कार्यालय के पीछे नांवा सिटी जिला डिडवाना कुचामन राजस्थान का आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** क्रय करने का वारण्टी बिल क्रमांक 147 दिनांक 24.06.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाने हेतु तैयार किये तथा डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 24.07.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को तैयारशुदा नमूना जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 24.07.2024 को जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rameswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:25 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक जयपुर से उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./3081/एक्ट/2024/2996 दिनांक 14.08.2024 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉ ण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में सोडियम क्लोराइड मानक स्तर के अनुरूप नहीं पाये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zx)** का उल्लंघन होने के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./3081/एक्ट/2024/2996 दिनांक 14.08.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में सोडियम क्लोराइड **(Sodium Chloride)** एवं आयोडीन **(Iodine Content)** की मात्रा तय मानको से कम पाई गई है। जिसके कारण उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zx)** के उल्लंघन के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि मैने ताडकेश्वर फूड प्रॉडक्ट नावां सिटी नागौर से जरिये वारण्टी बिल क्रमांक 147 दिनांक 24.06.2024 नमक खरीद किया था। उक्त नमक का सैम्पल फेल होने के कारण मेरे खिलाफ उक्त मुकदमा दर्ज हो गया है जबकि उक्त नमक मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। मैने उक्त नमक ताडकेश्वर फूड प्रॉडक्ट नांवा सिटी नागौर से क्रय किया है। अतः मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि हमने दिनांक 24.06.2024 को प्रगति साल्ट इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रोड राजास नांवा सिटी जिला नागौर से जरिये बिल नमक क्रय किया था एवं उक्त नमक को खरीद कर उसी दिन तुरन्त मैसस विजय कुमार दिनेश कुमार दौसा को जरिये बिल विक्रय कर दिया था। मैं केवल नमक खरीद कर नमक बेचता हूं। अतः मेरे विरूद्ध दर्ज मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करे।

अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा विक्रय किये गये नमक का नमूना सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिये मै क्षमा प्रार्थी हूं। प्रकरण में न्यूनतम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /3081/एक्ट/2024/2996 दिनांक 14.08.2024 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** का नमूने में सोडियम क्लोराइड **(Sodium Chloride)** एवं आयोडीन **(Iodine Content)** की मात्रा तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **3(1)(zx)** का उल्लंघन करने के कारण अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:25 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ आयोडाइज्ड नमक टेस्टी ब्रॉण्ड साल्ट पोलीपैक **(Iodised Salt Tasty Brand Poly Pack)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री अमित बेरीवाल पुत्र श्री सुरेश बेरीवाल नोमिनी प्रगति साल्ट प्रा. लिमिटेड खसरा नं. 461/58 पावर हाउस के सामने, जयपुर रोड राजास तहसील नांवा जिला डिडवाना निवासी 179, एवेन्यू 3 गोमेश डिफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर पर 20000/–(अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 07.04.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक FSSA/ 2025/ दिनांकः– .04.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विजय कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
   एफबीओ मैसर्सः–विजय कुमार दिनेश कुमार मानगंज दौसा निवासी श्याम मन्दिर के पास नई मण्डी रोड दौसा।
4. श्री राजेश खण्डेलवाल पुत्र श्री गौरी शंकर
   प्रोपरायटर/नोमिनी मैसर्स ताडकेश्वर फूड प्रोडक्ट तहसील कार्यालय के पीछे नावां सिटी जिला डिडवाना कुचामन निवासी 35, शंकर विहार, ए एक्सटेन्शन मुरलीपुरा जयपुर।
5. श्री अमित बेरीवाल पुत्र श्री सुरेश बेरीवाल
   नोमिनी प्रगति साल्ट प्रा. लिमिटेड खसरा नं. 461/58 पावर हाउस के सामने, जयपुर रोड राजास तहसील नांवा जिला डिडवाना निवासी 179, एवेन्यू 3 गोमेश डिफेन्स कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.06.30 10:26:25 IST
Reason: SelfAttested